<u>LEGISLATIVE ASSEMBLY</u> NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

Revised Bulletin Part-I

(Brief summary of proceedings)
Tuesday, 21 March 2023 / 30 Phalgun 1944 (Saka)

No. 38 11.07 AM

Sh. Ram Niwas Goel, Hon'ble Speaker in-Chair

- 1. 11.07 AM The Chair informed the House that for the first time in the history of the House, Annual Budget (2023-24) would not be presented as per schedule. The Chair termed it as an unfortunate, unconstitutional and extraordinary incident and requested Shri Kailash Gahlot, Hon'ble Minister of Finance to make a statement in this regard.
- 2. 11.08 AM Shri Vijender Gupta, Hon'ble Members started arguing with the Chair and demanded that Notice of Privilege given by him against Shri Kailash Gahlot and Shri Gopal Rai, Hon'ble Ministers be taken up.

The Chair requested the Hon'ble Member to allow Shri Kailash Gahlot, Hon'ble Minister to make a statement.

However, Shri Vijender Gupta, Hon'ble Member continued to argue with the Chair and disrupted the proceedings of the House.

On the directions of the Chair, the Marshalls escorted Shri Vijender Gupta, Hon'ble Member out of the House.

11.16 PM: Shri Ramvir Singh Bidhuri, Hon'ble Leader of Opposition and Other Members of Opposition walked out in the protest.

- 3. 11:16 AM **Shri Kailash Gahlot, Hon'ble Minister of Finance** made a brief statement and apprised the House regarding the circumstances for not being able to present the Budget today i.e. scheduled date due to lack of approval from Ministry of Home Affairs (MHA).
- 4. 11.23 AM Shri Sanjeev Jha, Hon'ble Member also expressed his concerns.

The Members of the Ruling Party entered the well of the House and started shouting slogans.

The Chair requested the Members to resume their seats.

However, the Members of Ruling Party continued to indulge in sloganeering

- 5. 11.24 AM The Chair adjourned the House till 12:00 Noon.
- 6. 12.04 PM House reassembled. Hon'ble Speaker in-Chair.
- 7. 12.04 PM The Chair gave a Ruling on the Notice of Breach of Privilege against Shri Kailash Gahlot and Shri Gopal Rail, Hon'ble Ministers given by Shri Vijender Gupta, Hon'ble Member and informed the House that it was received at 10:59 AM, whereas per Rules it should be submitted at least 03 (three) hours before the commencement of sitting on that day. He stated that the Notice mentioned leak of contents of Outcome Budget, already presented on 20/03/2023, and did not relate to the Annual Budget. He also stated that it was obvious that sole motive of Shri Vijender Gupta, Hon'ble Member was to disrupt the proceedings of the House and waste precious time of the House. The Chair also warned Shri Vijender Gupta, Hon'ble Member to be careful in future and not waste the time of the House by such frivolous Notice which was also against the Rules.
- 8. 12.11 PM **Shri Mohinder Goyal, Hon'ble Member** made a brief statement condemning the irresponsible behaviour of Shri Vijender Gupta, Hon'ble Member for disrupting the proceedings of the House.

- 9. 12.13 PM Shri Dilip Kumar Pandey, Hon'ble Chief Whip also drew the attention of the Chair on the Notice of Privilege given by Shri Vijender Gupta, Hon'ble Member with a malafide intent and requested the Chair to refer the matter to Committee on Ethics.
- 10. 12.14 PM The Members of Ruling Party again entered the well of the House and started shouting slogans and created rucks.

Uproar in the House ensured.

The Chair requested the members to resume their seats. However, the Members continued to indulge in sloganeering and disrupted the proceedings of the House.

- 11. 12.16 PM The Chair adjourned the House till 02:00 P.M.
- 12. 02.47 PM House reassembled.

Hon'ble Speaker in-Chair.

13. 02.47 PM Shri Vijender Gupta, Hon'ble Member again raised the issue of Notice of Privilege given by him.

The Chair informed Hon'ble Member that he had given a Ruling in the matter. However, Hon'ble Member continued to argue with the Chair and entered the well of the House and continuously disrupted the proceedings of the House.

14. 02.52 PM **Shri Sanjeev Jha, Hon'ble Member** moved a Motion that Shri Vijender Gupta, Hon'ble Member be suspended for one year for repeatedly interrupting the proceedings and wasting the time of the House.

The Motion was put to vote and adopted by voice-vote.

The Chair informed the House that Shri Vijender Gupta, Hon'ble Member has been suspended from the sittings of the House for one year i.e. till the next Budget Session. As the Hon'ble Member refused to leave the House voluntarily, he was escorted out of the House by the Marshalls on the directions of the Chair.

- 15. 02.54 PM **Shri Kuldeep Kumar, Hon'ble Member** moved a motion that the sitting of the House on 23/03/2023 be cancelled on the occasion of *'Shahidi Diwas'*The Motion was put to vote and adopted by voice-vote.
- 16. 03.00 PM Shri Ramvir Singh Bidhuri, Hon'ble Leader of Opposition and Other Members of Opposition walked out in the protest against the suspension of Shri Vijender Gupta, Hon'ble Member.
- 17. 03.00 PM Discussion on delay in presentation of Budget:

Taking the sense of the House, the Chair allowed a discussion on the delay in presentation of Budget.

The following Members participated in the discussion:

1. Shri Sanjeev Jha

He also moved the following Resolution with the leave of the House:

"The Legislative Assembly of NCT of Delhi having its sitting in Delhi on 21 March 2023 with presentation of Annual Financial Statement as the sole item on agenda for the days, resolves that:

Taking note of the fact that a conspiracy has been hatched to thwart the welfarist agenda of the elected Government of NCT of Delhi by way of derailing the budgetary allocations for health, education and other pro-people measures;

Taking further note of the fact that the Chief Secretary, the Finance Secretary and other officers concerned have, willingly suppressed the relevant communications, in collusion with the office of Hon'ble LG and the Government of India so as to create financial crisis in the National Capital and to portray it as a failure of elected Government:

Expressing serious concern about the way the Government of India is resorting to vindictive action against more than 2 crore people of Delhi for the simple reason that they chose to elect a pro-people Government;

Alarmed with the incongruity in the Transaction of Business Rules which runs contrary to the extant Statutes and the Constitutional provisions as well as the judgment delivered by the Constitution Bench of Hon'ble Supreme Court of India in Government of NCT of Delhi v. Union of India & Anr. dated 04 July 2018;

Dismayed with the fact that the Annual Financial Statement (Budget), which is universally acknowledged as a secret document till it is presented to the Members of the Legislature on the floor of the House for their scrutiny and approval, is subjected to prior scrutiny by the lowest of functionaries of the Ministry of Home Affairs in the Government of India, which practice is wholly unconstitutional and unlawful;

Calls upon every citizen of Delhi and the country to understand the machinations of the anti-people forces operating through Central Government;

Condemns in no uncertain terms the high handedness unleashed by the Government of India against 2 crore people of Delhi which is unconstitutional, illegal and undemocratic:

Recommends that the Transaction of Business Rules be amended to remove the unconstitutional and unlawful restrictions imposed on the elected Government through gross illegality and to adhere to the Constitutional provisions that empower the elected Government, as upheld by Hon'ble Supreme Court of India; and

Resolves that the conduct and role of the Chief Secretary (Delhi), Principal Secretary (Finance) and others in the delay in scheduled presentation of Budget to the Legislative Assembly, be referred to the Committee of Privileges for detailed examination and report."

18. 03.13 PM **Shri Dilip Kumar Pandey, Hon'ble Chief Whip** moved a Motion that the Notice of breach of Privilege given by Shri Vijender Gupta, Hon'ble Member with a malafide intent be referred to Committee on Ethics.

The Motion was put to vote and adopted by voice-vote.

- 19. 03.14 PM Discussion on delay in presentation of Budget continued:
 - 2. Smt. Raj Kumari Dhillon
 - 3. Shri Rituraj Govind
 - 4. Shri Kuldeep Kumar
 - 5. Shri Somnath Bharti
 - 6. Shri Rajesh Gupta
 - 7. Shri Rajendra Pal Gautam
 - 8. Shri Raaj Kumar Anand, Hon'ble Minister of Social Welfare

(03.50 P.M.: Shri Ramvir Singh Bidhuri, Hon'ble Leader of Opposition and other Members of Opposition Party came back in the House)

- 9. Shri Gopal Rai, Hon'ble Minister of Development
- 10. Shri Ramvir Singh Bidhuri, Hon'ble Leader of Opposition

Shri Arvind Kejriwal, Hon'ble Chief Minister replied to the discussion.

The Resolution moved by Shri Sanjeev Jha, Hon'ble Member was put to vote and adopted by voice-vote

20. 04.24 PM The Chair adjourned the House upto 11.00 AM on Wednesday, 22 March 2023.

Delhi 21 March, 2023 Raj Kumar Secretary

विधान सभा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

संशोधित समाचार भाग-1

(कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख)

मंगलवार, 21 मार्च, 2023/फाल्गुन 30, 1944 (शक्)

संख्या-	-38
11.07	बजे

श्री रामनिवास गोयल, माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए।

- 1. 11.07 बजे अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि सदन के इतिहास में पहली बार निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वार्षिक बजट (2023–24) प्रस्तुत नहीं किया जायेगा। अध्यक्ष महोदय ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण, असंवैधानिक तथा असाधारण घटना बताया और श्री कैलाश गहलोत, माननीय वित्त मंत्री से इस संबंध में वक्तव्य देने का अनुरोध किया।
- 2. 11.08 बजे श्री विजेंद्र गुप्ता, माननीय सदस्य ने अध्यक्ष महोदय के साथ तर्क-वितर्क करना प्रारम्भ कर दिया और श्री कैलाश गहलोत और श्री गोपाल राय, माननीय मंत्रियों के विरूद्ध उनके द्वारा दिये गये विशेषाधिकार हनन के नोटिस पर विचार करने की मांग करने लगे। अध्यक्ष महोदय ने माननीय सदस्य से अनुरोध किया कि वे श्री कैलाश गहलोत, माननीय मंत्री को वक्तव्य देने दें। तथापित श्री विजेंद्र गुप्ता, माननीय सदस्य ने अध्यक्ष महोदय के साथ तर्क-वितर्क करना जारी रखा और सदन की कार्यवाही बाधित करने लगे। अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार, मार्शलों ने श्री विजेंद्र गुप्ता, माननीय सदस्य को सदन से बाहर भेजा।

11.16 बजे : श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी, माननीय नेता प्रतिपक्ष तथा प्रतिपक्ष के अन्य सदस्यों ने विरोधस्वरूप बहिर्गमन किया।

- 3. 11.16 बजे श्री कैलाश गहलोत, माननीय वित्त मंत्री ने संक्षिप्त वंक्तव्य दिया और गृह मंत्रालय से अनुमित न मिलने के कारण आज निर्धारित तिथि को बजट प्रस्तुत नहीं कर पाने से संबंधित परिस्थितियों के बारे में सदन को अवगत कराया।
- 4. 11.23 बजे श्री संजीव झा, माननीय सदस्य ने भी अपनी चिंता जाहिर की। सत्ता पक्ष के सदस्य सदन के वैल में आ गये और नारेबाजी करने लगे। अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों से अपने आसन ग्रहण करने का अनुरोध किया। तथापि, सत्ता पक्ष के सदस्यों ने नारेबाजी जारी रखी।
- 5. 11.24बजे अध्यक्ष महोदय ने सदन मध्याह्न 12.00 बजे तक के लिए स्थगित किया।
- 12.04 बजे सदन पुनः समवेत हुआ।
 अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।
- 7. 12.04 बजे अध्यक्ष महोदय ने श्री विजेंद्र गुप्ता, माननीय सदस्य द्वारा श्री कैलाश गहलोत तथा श्री गोपाल राय, माननीय मंत्रियों के विरुद्ध दिये गये विशेषाधिकार हनन के नोटिस पर व्यवस्था दी और सदन को सूचित किया कि यह नोटिस प्रातः 10.59 बजे प्राप्त हुआ था जबिक नियमों के अनुसार यह उस दिन की कार्यवाही शुरू होने से न्यूनत्तम 03 (तीन) घंटे पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि नोटिस की विषय वस्तु में आउटकम बजट लीक होने का वर्णन किया गया, जो पहले ही दिनांक 20.03.2023 को प्रस्तुत किया जा चुका है तथा इसका वार्षिक बजट से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि यह स्पष्ट है कि श्री विजेंद्र गुप्ता, माननीय सदस्य का एकमात्र उद्देश्य सदन की कार्यवाही में बाधा डालना और सदन के कीमती समय को नष्ट करना था। अध्यक्ष महोदय ने श्री विजेंद्र गुप्ता, माननीय सदस्य को भविष्य में सतर्क रहने और ऐसे तुच्छ नोटिस देकर सदन के समय को खराब न करने की भी चेतावनी दी, जो नियमों के भी विरुद्ध है।
- 8. 12.11 बजे श्री महेन्द्र गोयल, माननीय सदस्य ने संक्षिप्त वक्तव्य दिया और सदन की कार्यवाही बाधित करने के लिए श्री विजेंद्र गुप्ता, माननीय सदस्य के गैर जिम्मेदाराना आचरण की निंदा की।

- 9. 12.13 बजे श्री दिलीप पाण्डेय, माननीय मुख्य सचेतक ने भी अध्यक्ष महोदय का ध्यान श्री विजंद्र गुप्ता, माननीय सदस्य द्वारा दुर्भावनापूर्ण इरादे से दिये गये विशेषाधिकार हनन के नोटिस की तरफ दिलाया तथा अध्यक्ष महोदय से अनुरोध किया कि इस मामले को आचरण समिति को सौंप दिया जाये।
- 10. 12.14 बजे सत्ता पक्ष के सदस्यों ने पुनः सदन के वैल में आकर नारेबाजी शुरू कर दी तथा हंगामा करने लगे। सदन में शोर-शराबा शुरू हो गया। अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों से अपना आसन ग्रहण करने का अनुरोध किया। तथापि, सदस्यों ने नारेबाजी जारी रखी तथा सदन की कार्यवाही को बाधित करने लगे।
- 11. 12.16 बजे अध्यक्ष महोदय ने सदन अपराह्न 02.00 बजे तक के लिए स्थगित किया।
- 12. 02.47 बजे सदन पुनः समवेत हुआ। अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।
- 13. 02.47 बजे श्री विजेंद्र गुप्ता, माननीय सदस्य ने पुनः उनके द्वारा दिये गये विशेषाधिकार हनन के नोटिस के मामले को उठाया। अध्यक्ष महोदय ने माननीय सदस्य को सूचित किया कि उन्होंने इस संबंध में व्यवस्था दे दी है। तथापि, माननीय सदस्य ने अध्यक्ष महोदय से तर्क-वितर्क करना जारी रखा और सदन के वैल में आ गये तथा सदन की कार्यवाही को लगातार बाधित करने लगे।
- 14. 02.52 बजे श्री संजीव झा, माननीय सदस्य ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि श्री विजेंद्र गुप्ता, माननीय सदस्य को बार—बार सदन की कार्यवाही बाधित करने और समय खराब करने के कारण एक वर्ष तक के लिए निलम्बित कर दिया जाये। प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया और ध्वनिमत से स्वीकार हुआ। अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि श्री विजेंद्र गुप्ता, माननीय सदस्य को एक वर्ष के लिए, अगले बजट सत्र तक सदन की बैठकों से निलम्बित कर दिया गया है। चूंकि माननीय सदस्य ने अपने आप सदन से बाहर जाने से मना कर दिया, उन्हें अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार मार्शलों द्वारा बाहर भेजा गया।
- 15. 02.54 बजे श्री कुलदीप, माननीय सदस्य ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि दिनांक 23.03.2023 को आयोजित होने वाली सदन की बैठक को 'शहीदी दिवस' के अवसर पर निरस्त कर दिया जाये। प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया और ध्वनिमत से स्वीकार हुआ।
- 16. 03.00 बजे श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी, माननीय नेता प्रतिपक्ष तथा प्रतिपक्ष के अन्य सदस्यों ने श्री विजेंद्र गुप्ता, माननीय सदस्य के निलम्बन के विरोधस्वरूप बहिर्गमन किया।
- 17. 03.00 बजे बजट प्रस्तुत करने में देरी पर चर्चा : सदन की भावना को समझते हुए, अध्यक्ष महोदय ने बजट प्रस्तुत करने में हुई देरी पर चर्चा की अनुमित दी। निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :--
 - 1. श्री संजीव झा

उन्होंने सदन की अनुमति से निम्नलिखित संकल्प भी प्रस्तुत किया :-

'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा दिनांक 21 मार्च 2023 को दिल्ली में आयोजित अपनी बैठक में, जिसमें वार्षिक वित्तीय विवरण की प्रस्तुति एकमात्र एजेंडा बिंदु था, संकल्प करती है कि :

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य जन-समर्थक कार्यों के लिए बजटीय आवंटन को पटरी से उतारकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की निर्वाचित सरकार के कल्याणकारी एजेंडे को विफल करने की साजिश की गई है:

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मुख्य सचिव, वित्त सचिव और अन्य संबंधित अधिकारियों ने माननीय उप राज्यपाल के कार्यालय और भारत सरकार की मिलीभगत से तत्संबंधी संवाद को स्वेच्छा से दबा दिया है ताकि राष्ट्रीय राजधानी में वित्तीय संकट पैदा हो सके और इसे निर्वाचित सरकार की विफलता के रूप में चित्रित किया जा सके:

इस बारे में गंभीर विंता व्यक्त करते हुए कि जिस तरह भारत सरकार दिल्ली के 02 करोड़ से अधिक लोगों के खिलाफ इसलिए प्रतिशोध की कार्रवाई का सहारा ले रही है क्योंकि उन्होंने एक जन-समर्थक सरकार चुनने का फैसला किया:

कार्य संचालन नियमों में असंगतता के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए, जो मौजूदा कानूनों और संवैधानिक प्रावधानों के साथ-साथ भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा दिल्ली सरकार बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में दिनांक 04 जुलाई 2018 को दिए गए फैसले के विपरीत है:

इस तथ्य से निराशा जताते हुए कि वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट), जिसे सार्वभौमिक रूप से एक गुप्त दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाता है, जब तक इसे विधानमंडल के सदस्यों को जांच और अनुमोदन के लिए सदन के पटल पर प्रस्तुत नहीं किया जाता, वह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के निम्नतम अधिकारियों की पूर्व जांच के अधीन है, जो पूरी तरह असंवैधानिक और गैरकानुनी परम्परा है;

दिल्ली और देश के प्रत्येक नागरिक का आह्वान करती है कि केंद्र सरकार के तहत सक्रिय

जनविरोधी ताकतों की साजिशों को समझे ;

दिल्ली 'के 02 करोड़ लोगों के खिलाफ भारत सरकार द्वारा की जा रही असंवैधानिक, अवैध और अलोकतांत्रिक मनमानी की निंदा करती है :

अनुशंसा करती है कि निर्वाचित सरकार पर भारी अवैधतापूर्ण ढंग से लगाए गए असंवैधानिक और गैरकानूनी प्रतिबंधों को हटाने के लिए और निर्वाचित सरकार को सशक्त बनाने वाले संवैधानिक प्रावधानों का पालन करने के लिए, कार्य संचालन नियमों में संशोधन किया जाना चाहिए, जैसा कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सही ठहराया गया है ; और संकल्प करती है कि मुख्य सचिव (दिल्ली), प्रधान सचिव (वित्त) और अन्य द्वारा विधान सभा में बजट की निर्धारित प्रस्तुति में देरी में उनके आचरण और भूमिका को विस्तृत जांच और रिपोर्ट के लिए विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाये।"

18. 03.13 बजे श्री दिलीप कुमार पाण्डेय, माननीय मुख्य सचेतक ने प्रस्ताव किया कि श्री विजेंद्र गुप्ता, माननीय सदस्य द्वारा दुर्भावनापूर्ण इरादों से दिये गये विशेषाधिकार हनन के नोटिस के मामले को आचरण समिति को सौंप दिया जाये।

प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया तथा ध्वनिमत से स्वीकार हुआ।

- 19. 03.14 बजे बजट प्रस्तुत करने में देरी पर चर्चा जारी :
 - श्रीमती राजकुमारी ढिल्लों
 - 3. श्री ऋतुराज गोविंद
 - श्री कुलदीप कुमार
 - श्री सोमनाथ भारती
 - श्री राजेश गुप्ता
 - श्री राजेंद्र पाल गौतम
 - श्री राज कुमार आनन्द, माननीय समाज कल्याण मंत्री
 (03.50 बजे : श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी, माननीय नेता प्रतिपक्ष तथा प्रतिपक्ष के अन्य सदस्य सदन में वापस आ गये।)
 - 9. श्री गोपाल राय, माननीय विकास मंत्री
 - 10. श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी, माननीय नेता प्रतिपक्ष

श्री अरविंद केजरीवाल, माननीय मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

श्री संजीव झा, माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत संकल्प मतदान के लिए रखा गया और ध्वनिमत से स्वीकार हुआ।

20. 04.24 बजे अध्यक्ष महोदय ने सदन की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 22 मार्च, 2023 को पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की।

दिल्ली 21 मार्च, 2023

राज कुमार सचिव